इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2016—आश्विन 21, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

सूचना

क्र. एफ-22-10-2016-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग क), धारा 74 की उपधारा (2), धारा 79 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 66 में,

(1) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) धारा 87 तथा धारा 88 की उपधारा (7) के अधीन अस्थाई अनुज्ञापत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र एवं धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन पर्यटन अनुज्ञापत्र जारी करना;";

(2) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ज) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (गक) के अधीन मंजिली गाड़ियों के चालन हेतु मार्गों का निश्चित करना;

2. नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**71 मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग.**—यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए सड़क निर्माण/रखरखाव करने वाली शासकीय एजेंसी से मार्ग के संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु समाविष्ट होंगे :—

(क) सड़क पर विद्यमान पुलों, पुलियों तथा मंजिली गाड़ी के सुरक्षित प्रचालन के लिए अभिमत, अन्य बाधाओं की जानकारी;

(ख) मार्ग की कुल दूरी, मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों/नगरों की वास्तविक दूरी की जानकारी;

(ग) मार्ग का मोटरयान संचालन के लिए योग्य होने की जानकारी. मार्ग के सभी मौसमों अथवा वर्ष के कुछ माहों के संचालन योग्य रहने की जानकारी;

(घ) मार्ग का भौगोलिक नक्शा तथा मार्ग पर, यदि कोई ब्लैक स्पॉट हो तो उसकी जानकारी."

3. नियम 77 में,—

(1) उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2क) धारा 74 की उपधारा (2) में विहित शर्तों के अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या राज्य परिवहन अधिकारी किसी भी ठेका गाड़ी जिसके विनिर्माण के वर्ष से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, ठेका गाड़ी हेतु अनुज्ञा पत्र मंजूर नहीं करेगा."

(2) उपनियम (3) में, खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(चार) ऐसे यान जिसके विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किया जाएगा किन्तु राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र के लिए वाहन की आयु वही होगी जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 की धारा 88 में दी गई है."

NOTICE

No. F-22-10-2016-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (3) of Section 68, sub-section (2) of Section 74, sub-section (2) of Section 79 read with sub-section (1) and (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby published as required by sub-Section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 66,—

(1) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) to grant temporary permit under Section 87, sub-section (7) of Section 88 or special permit under sub-section (8) of Section 88 and to issue tourist permit under sub-section (9) of Section 88;".

(2) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

"(h) to formulate routes for driving of stage carriage under clause (ca) of sub-section (3) of Section 68 of the Motor Vihicles Act, 1988 (59 of 1988);".

2. For rule 71, the following rule shall be substituted, namely:—

"**71. Route motorability.**—The State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, for grant of stage carriage permit, may obtain certificate from the road construction/maintaining Government agencies in respect of route, which shall consist of the following points :—

(a) opinion for the existing bridges, culverts on the road and in safe operation of stage carriage, information of other obstructions;

(b) total distance of the route, information of actual distance of the enroute Villages/Towns;

(c) information of being operationable motor vehicle of the route, information of being operationable of the route of all seasons or some other months of the year;

(d) Topography map or route and information of black sport on the route, if any.".

3. In rule 77,—

(1) after sub-rule (2), the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(2a) in addition to the consitions prescribed in sub-section (2) of Section 74, the Regional Transport Authority or the State Transport Authority shall not grant the permit for any contract carriage which has completed 15 years from the year of the manufacture.".

(2) in sub-rule (3), after clause (iii), the following clause shall be added, namely :—

"(iv) such vehicle which has completed 15 years from the year of manufacture shall not issue permit but for the national permit, the age of vehicle shall be applicable which has been given in Setion 88 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.